

नीति:

**अपराध पीड़ित - उन्हें सहायता और जानकारी प्रदान करना**

नीति कोड:

**VIC 1**

प्रभावी होने का दिनांक:

मार्च 1, 2018

पार-संदर्भ:

CHI 1 IPV 1 SEX 1  
VIC 2 VUL 1

### सामान्य

अपराध पीड़ितों को जानकारी और सहायता उपलब्ध कराना न्याय प्रणाली के कार्मिकों का एक महत्वपूर्ण कार्य है। क्राउन काउंसल और प्रशासनिक स्टाफ को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पीड़ितों को सामुदायिक और पुलिस-आधारित पीड़ित सहायता कार्यक्रमों के बारे में जागरूक बनाया जाए।

जहां संभव हो, क्राउन काउंसल को निम्नलिखित नीतियों में पीड़ित से संबंधित मार्गदर्शन पर भी विचार करना चाहिए:

- *चिल्ड्रेन एंड वल्लेरेबल यूथ - क्राइमज़ अगैस्ट* (CHI 1)
- *इंटीमेट पार्टनर वायलेंस* (IPV 1)
- *सेक्सुअल अफेन्सेज अगैस्ट एडल्ट्स* (SEX 1)
- *वल्लेरेबल विक्टिम्स एंड विटनेसेज - एडल्ट* (VUL 1)

क्राउन काउंसल और प्रशासनिक स्टाफ को बीसी के [विक्टिम्स ऑफ क्राइम एक्ट](#) (VOCA) तथा संघीय [कैनेडियन विक्टिम्स बिल ऑफ राइट्स](#) (CVBR) के तहत अपने दायित्वों को भी ध्यान में रखना चाहिए।

क्राउन काउंसल को पीड़ितों को न्यायालय के लिए तैयार करना चाहिए और उन्हें नीचे दिए गए अनुसार अभियोजन (मुकदमा चलाने की कार्यवाही) तथा फौजदारी न्याय प्रणाली के बारे में उचित जानकारी देनी चाहिए। प्रत्येक गंभीर मामले में, क्राउन काउंसल को पीड़ितों और उनके परिवारों से मिलना चाहिए ताकि अभियोजन की प्रक्रिया को समझने में उनकी सहायता की जा सके।

जहां पीड़ित की सुरक्षा के संबंध में विशेष चिंताएं हों या पीड़ित द्वारा जारी घटनाओं की जानकारी के लिए अनुरोध किया जाता है, क्राउन काउंसल को यह सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए कि पीड़ित को सीधे तौर पर प्रशासनिक कर्मचारियों द्वारा या किसी पीड़ित सहायता कार्यक्रम के जरिए, अभियोजन की कार्यवाही, किसी भी भविष्य की न्यायालय तारीख, और किसी भी जमानत की शर्त तथा उन कार्यवाहियों या शर्तों में किसी भी बदलाव के बारे में सूचित किया जाए।

## अधिक जानकारी

### पीड़ितों को जानकारी उपलब्ध कराना

- VOCA के तहत

पुलिस को [विक्टिमस ऑफ़ क्राइम एक्ट](#) की धारा 5 के तहत मुख्य जिम्मेदारी के लिए निर्दिष्ट किया गया है जिसके अनुसार यह अपेक्षित है कि न्याय प्रणाली के कार्मिकों को किसी पीड़ित को निम्नलिखित के संबंध में सामान्य जानकारी देनी होगी - न्याय प्रणाली की संरचना और कार्य, पीड़ित सेवा (विक्टिम सर्विसेज़), [फ्रीडम ऑफ़ इन्फॉर्मेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ़ प्राइवैसी एक्ट](#), [क्रिमिनल इन्जरी काम्पन्सेशन एक्ट](#) तथा [विक्टिमस ऑफ़ क्राइम एक्ट](#)।

यदि यह बात मालूम हो कि पीड़ित को अपेक्षित जानकारी नहीं दी गई है, तो क्राउन काउंसल या प्रशासनिक स्टाफ़ उन्हें उस प्रयोजन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ़ जस्टिस द्वारा तैयार की गई मानक जानकारी के बारे में बताएंगे।

[यूथ क्रिमिनल जस्टिस एक्ट](#) की शर्तों के आधीन तथा किसी जांच या अभियोजन में पक्षपात न करने की अपेक्षा के आधीन, जहां पीड़ित द्वारा अनुरोध किया जाता है, VOCA की धारा 6(1) (e) और (f) एक निरंतर जिम्मेदारी लगाती हैं कि पीड़ित को उन न्यायालय घटनाओं के बारे में जिनके कारण अंतिम राय प्रभावित होने की संभावना हो, आरोपी की सजा या जमानत की स्थिति, तथा प्रत्येक घटना के परिणाम के बारे में अद्यतन किया जाए।

जारी की जाने वाली जानकारी VOCA की धारा 6(b), (c), (e) और (f) में बताए गए अनुसार सीमित है तथा न्यायालय सूची में दिए गए अनुसार न्यायालय में पेशी के कारण जो जानकारी स्पष्ट नहीं होगी।

- CVBR के तहत

CVBR की धारा 6 में व्यवस्था है कि किसी पीड़ित को, अनुरोध करने पर, फौजदारी न्याय प्रणाली और उसमें पीड़ितों की भूमिका के बारे में सामान्य जानकारी, उन्हें उपलब्ध सेवाओं और कार्यक्रमों तथा तथा CVBR के तहत उनके किसी भी अधिकार के अतिक्रमण अथवा खंडन के लिए शिकायत करने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त, धारा 7 और 8 में यह व्यवस्था है कि किसी पीड़ित को, अनुरोध किए जाने पर, किसी मामले से संबंधित विशिष्ट जानकारी पाने का अधिकार है, जैसे कि कार्यवाही का स्थान, वह कब आयोजित की जाएगी, उसकी प्रगति और परिणाम। धारा 20 उपर्युक्त को सीमित करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उचित न्याय प्रदानगी में कोई व्यवधान न हो।

### पीड़ित प्रभाव विवरण

पीड़ितों को एक पीड़ित प्रभाव विवरण उपलब्ध कराने का अवसर दिया जाना चाहिए। [विक्टिमस ऑफ़ क्राइम एक्ट](#) की धारा 4 के तहत, क्राउन काउंसल को यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि प्रत्येक पीड़ित को उचित अवसर दिया जाए कि वह सजा दिए जाने से पहले, जैसा कि पीड़ित का बोध हो, अपराध के प्रभाव से संबंधित स्वीकार्य साक्ष्यों को न्यायालय में प्रस्तुत करवा सके। इसके अलावा, क्रिमिनल कोड की धारा 722(2) के अनुसार न्यायालय के लिए यह अपेक्षित है कि वह अभियोजक के साथ जांच करे कि क्या पीड़ित को पीड़ित प्रभाव विवरण तैयार करने हेतु अवसर देने के लिए उचित कदम उठाए गए हैं।

इसके अलावा, [कैनेडियन विक्टिम्स बिल ऑफ राइट्स](#) की धारा 15 और 19 में व्यवस्था है कि सभी पीड़ितों को यह अधिकार है कि वे फौजदारी न्याय प्रणाली में कानून में दी गई प्रक्रियाओं के माध्यम से, उपयुक्त प्राधिकरणों को पीड़ित प्रभाव विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं और उस पर विचार करवा सकते हैं।

## तैयारी

*क्रिमिनल कोड* की धारा 722(4) पीड़ितों को अधिकार देती है कि वे प्रोविंस की काउंसिल में लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा उस प्रयोजन के लिए डिजाइन किए गए कार्यक्रम द्वारा स्थापित प्रक्रियाओं के अनुसार पीड़ित प्रभाव बयान तैयार कर सकते हैं। बीसी प्रासिक्यूशन सर्विस, मिनिस्ट्री ऑफ अटॉर्नी जनरल का पीड़ित प्रभाव विवरण कार्यक्रम एक प्रोविंशल ऑर्डर-इन-काउंसिल द्वारा ऐसे प्रोग्राम के तौर पर निर्दिष्ट किया गया है जो ब्रिटिश कोलंबिया में पीड़ित प्रभाव विवरण तैयार करने की कार्यविधियां तैयार करने हेतु जिम्मेदार है। परिशिष्ट A में वे कार्यविधियां बताई गई हैं जो पीड़ित प्रभाव विवरणों को तैयार करने के लिए विकसित की गई हैं।

## प्रस्तुति

यद्यपि पीड़ित प्रभाव विवरण प्रायः *क्रिमिनल कोड* की धारा 722(1) के तहत न्यायालय में दायर कर प्रस्तुत किए जाते हैं, तथापि धारा 722 (5) से (7) पीड़ितों को सजा की कार्यवाही के दौरान अपनी बात रखने के और भी तरीकों की अनुमति प्रदान करती हैं।

धारा 722 (5) में व्यवस्था है कि पीड़ित, अनुरोध किए जाने पर, अपना पीड़ित प्रभाव विवरण निम्नलिखित तरीकों से न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है- उसे पढ़कर, अपनी पसंद के समर्थक व्यक्ति की उपस्थिति में और निकट रहते हुए पढ़कर, न्यायालय कक्ष के बाहर उसे पढ़कर (धारा 722 (7) की शर्तों के आधीन), अथवा किसी स्क्रीन या अन्य डिवाइस के पीछे से पढ़कर जहां से पीड़ित को अपराधी नजर न आए, अथवा किसी भी अन्य तरीके से जिसे न्यायालय उपयुक्त मानता हो।

धारा 722(6) पीड़ित, अथवा उसके प्रतिनिधि को अधिकार देती है कि वे पीड़ित प्रभाव विवरण प्रस्तुत करते समय अपने साथ अपराध से पहले का पीड़ित का फोटोग्राफ ला सकते हैं, यदि न्यायालय के विचार में ऐसा करने से कार्यवाही बाधित न हो।

पीड़ित प्रभाव विवरण और क्षतिपूर्ति जानकारी संदर्शिका विवरण पीड़ितों को निर्देश देते हैं कि वे सजा की तारीख से जितना पहले हो सके, क्राउन काउंसिल को बता दें, यदि वे धारा 722(5) और 722(6) के तहत इनमें से किसी भी विकल्प का अनुरोध करना चाहते हैं।

## रेस्टिट्यूशन (पुनर्स्थापना)

क्राउन काउंसिल को विचार करना चाहिए कि क्या *क्रिमिनल कोड* की धारा 738 अथवा 739 के तहत पुनर्स्थापना आदेश (रेस्टिट्यूशन ऑर्डर) उचित रहेगा और पीड़ितों को यह बताने का अवसर देने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए कि क्या वे अपने नुकसान और हानियों के लिए मुआवजा मांग रहे हैं।

## सामुदायिक प्रभाव विवरण

क्रिमिनल कोड की धारा 722.2 लोगों को अधिकार देती है कि वे प्रोविंस की काउंसिल में लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा उस प्रयोजन के लिए निर्दिष्ट किए गए कार्यक्रम द्वारा स्थापित प्रक्रियाओं के अनुसार समुदाय पर प्रभाव का विवरण तैयार कर सकते हैं। कम्युनिटी सेफ्टी एंड क्राइम प्रिवेंशन ब्रांच, मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक सेफ्टी एंड सॉलिसिटर जनरल का समुदाय पर प्रभाव का विवरण प्रोग्राम एक प्रोविंशल ऑर्डर-इन-काउंसिल द्वारा ऐसे प्रोग्राम के तौर पर निर्दिष्ट किया गया है जो ब्रिटिश कोलंबिया में समुदाय पर प्रभाव का विवरण तैयार करने की [कार्यविधियां](#) स्थापित करने के लिए जिम्मेदार होगा जैसा कि धारा 722.2(2) में कहा गया है।

## पीड़ित से संबंधित रिकॉर्ड पेश करने के आवेदन

जहां बचाव या गवाह के संबंध में किसी रिकॉर्ड को पेश करने के लिए बचाव पक्ष द्वारा आवेदन किया गया हो और पीड़ित या गवाह किसी वकील को बनाए रखने के अवसर के लिए अनुरोध करें, वहां क्राउन काउंसल द्वारा, जहां आवश्यक हो, उस अनुरोध में सुविधा के लिए एक स्थगन हेतु आवेदन किया जाएगा। इसके अलावा, उपयुक्त मामलों में, कानूनी अभ्यावेदन का आवेदन तैयार करने के लिए, क्राउन काउंसल पीड़ित को लीगल सर्विसेज़ सोसायटी के पास भेजेगा।

यौन अपराध के मामलों में जहां क्रिमिनल कोड की धारा 278.3 के तहत आवेदन किया गया हो वहां सभी शिकायतकर्ताओं और गवाहों के लिए स्वतंत्र कानूनी सलाह और प्रतिनिधित्व हेतु मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस धन देगी, चाहे उस व्यक्ति की वित्तीय स्थिति कैसी भी हो।

## अपील न्यायालय को की गई अपील पर पीड़ित को सहायता

बीसी प्रासिक्यूशन सर्विस क्रिमिनल अपीलस तथा स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स (CASP) द्वारा अपील करने के बाद, अथवा CASP द्वारा वादी का नोटिस ऑफ अपील प्राप्त होने के बाद, जितनी जल्दी व्यवहार्य हो सकेगा, उन मामलों में निम्नलिखित लागू होते हैं जहां VOCA की धारा 6 के अनुसरण में जानकारी के लिए पीड़ित ने लिखित अनुरोध किया हो:

- यदि उपयुक्त होगा, तो CASP यह जानने के लिए पीड़ित से संपर्क करेगा कि जानकारी प्राप्त करने अथवा कार्यवाही में शामिल होने में पीड़ित की रुचि कितनी है।
- CASP को अपील हेतु लंबित किसी भी जमानत के आवेदन की तारीख के बारे में पीड़ित को सूचित करना चाहिए ताकि पीड़ित जमानत के संबंध में कोई भी टिप्पणी उपलब्ध करा सके।
- CASP किसी भी जमानत के आवेदन के नतीजे के बारे में पीड़ित को सूचित करेगा, और यदि उपयुक्त होगा, तो आदेश की प्रति उपलब्ध कराएगा।

- CASP द्वारा पीड़ित को अपील की तारीख के बारे में तथा किसी भी ऐसी पेशी के बारे में सूचित करेगा जिसका परिणाम अपील के अंतिम रुझान में या अपीलकर्ता की जमानत स्थिति, ड्राइविंग विशेषाधिकारों अथवा परिवीक्षा आदेश की शर्तों का पालन करने के दायित्व में परिवर्तन में होने की संभावना हो। इसके अलावा, जहां नए मुकदमे का आदेश दिया जाएगा, CASP इस तथ्य के बारे में पीड़ित को सूचित करेगा और पीड़ित को उस क्षेत्र में जहां नए मुकदमे की कार्यवाही की जाएगी, क्राउन काउंसल कार्यालय से संपर्क करने के साधन उपलब्ध कराएगा।

पैरोल या अस्थाई अनुपस्थितियों के लिए पात्रता, या किसी अन्य करेक्शंस-संबंधी मामलों से संबंधित प्रश्न, स्थानीय पैरोल या परिवीक्षा कार्यालय या उस संस्थान को भेजे जाने चाहिए जहां अपराधकर्ता कैद है।

जहां पुलिस-आधारित या विशेषज्ञता वाले समुदाय-आधारित पीड़ित सहायता कार्यक्रमों के कार्मिकों ने पीड़ितों को सेवाएं प्रदान की हैं और जहां उन्होंने ऐसा करने के लिए पीड़ितों से लिखित प्राधिकरण प्राप्त किया है, जहां उपयुक्त होगा, CASP कार्यालय सीधे पुलिस-आधारित या विशेषज्ञता वाले समुदाय-आधारित पीड़ित सहायता कार्यक्रम को जानकारी उपलब्ध कराएगा (विक्टिम्स ऑफ क्राइम - प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टु (VIC 2))।

## परिशिष्ट A

## पीड़ित प्रभाव विवरण तैयार करने हेतु कार्यविधियां

बीसी प्रासिक्यूशन सर्विस, मिनिस्ट्री ऑफ अटॉर्नी जनरल का पीड़ित प्रभाव विवरण कार्यक्रम

कार्यक्रम के लिए जिम्मेवार ब्रांच:

•बीसी प्रासिक्यूशन सर्विस

पीड़ित किस प्रकार पीड़ित प्रभाव विवरण (VIS) प्राप्त कर सकते हैं?

•क्राउन काउंसल कार्यालय पीड़ितों को VIS फॉर्म उपलब्ध करा सकते हैं। बहुत से मामलों में, एक बार आरोप अनुमोदित हो जाने पर, एक VIS पैकेज जिसमें VIS फॉर्म तथा पीड़ित प्रभाव विवरण और क्षतिपूर्ति जानकारी संदर्शिका पर विवरण। VIS फॉर्म BCPS की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

फॉर्म को भरने के लिए पीड़ित किस प्रकार सहायता प्राप्त कर सकते हैं?

•पीड़ित सेवा कार्यकर्ता VIS को भरने में पीड़ित की सहायता कर सकते हैं। पीड़ित सेवा कार्यकर्ता के पास रेफरल करने के लिए, पीड़ित VictimLinkBC से संपर्क कर सकते हैं।

पीड़ित अपना पूरा किया गया फॉर्म कहाँ भेज सकते हैं?

•पीड़ित पूरे किए गए VIS फॉर्म उस क्राउन काउंसल के कार्यालय को देंगे जो अभियोजन के लिए जिम्मेदार होगा।

क्या क्राउन काउंसल द्वारा फॉर्मों का पुनरीक्षण और समीक्षा की जाती है?

•क्राउन काउंसल कार्यालय पीड़ितों के VIS फॉर्मों की समीक्षा और पुनरीक्षण के लिए जिम्मेवार होते हैं।

क्या आरोपी को अथवा बचाव पक्ष के काउंसल को फॉर्मों का खुलासा किया जाता है?

•आरोपी को अथवा बचाव पक्ष के काउंसल को फॉर्मों का खुलासा करने के लिए क्राउन काउंसल जिम्मेवार होते हैं।

न्यायालय में कौन फॉर्मों को दायर करता है?

•दोष का पता लगाने और न्यायालय द्वारा सजा देने से पहले, क्राउन काउंसल द्वारा न्यायालय में VIS फॉर्म दायर किए जाते हैं।